महत्वपूर्ण अनुदेश (IMPORTANT INSTRUCTIONS)

1 अभ्यर्थी को परीक्षा तिथि को निर्धारित समय से 60 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा कक्ष में 30 मिनट पूर्व प्रवेश कर सीटिंग प्लान के अनुसार निर्धारित सीट पर आसन ग्रहण करना होगा।

2 प्रवेश–पत्र में यदि कोई त्रुटि हो तो तत्काल आयोग को सूचित कर सम्बन्धित त्रुटि का निराकरण करा लें।

3 परीक्षा सम्बंधी किसी प्रकार की जानकारी परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व केन्द्राध्यक्ष से प्राप्त की जा सकती है।

4 अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका (OMR Sheet) पर महिला अभ्यर्थी बायें हाथ के अँगूठे एवं पुरुष अभ्यर्थी दायें हाथ के अँगूठे का निशान निर्धारित स्थान पर लगायेंगे।

5 अभ्यर्थी अपने साथ प्रवेश–पत्र के अतिरिक्त पहचान–पत्र के रूप में निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक अपने साथ अवश्य लायेंगे, साथ ही स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम दो फोटो भी लायेंगे।

6 प्रवेश–पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाना सम्भव नहीं होगा।

7 अभ्यर्थी परीक्षा हाल में काला बाल पेन अपने साथ अवश्य लाएं तथा (OMR Sheet) के आयताकार खानों व गोलों में की जाने वाली समस्त प्रविष्टियां काले बाल पेन से ही करें। काले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के बाल प्वाइन्ट पेन, फाउन्टेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, एच.बी. पेन्सिल एवं सफेदा (Whitener) का प्रयोग वर्जित है। एक बार गोला भरे जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। उसका न तो मूल्यांकन होगा और न ही उस पर कोई अंक दिया जायेगा।

8. परीक्षा के दौरान (OMR Sheet) पर मिटाने के लिए इरेजर, नाखून, ब्लेड, सफेद तरल पदार्थ (Whitener) आदि का प्रयोग या किसी अन्य प्रकार की क्षति पहुँचाने पर सख्त निषेध है और उस दशा में (OMR Sheet) स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा ऐसी (OMR Sheet) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

9. उत्तर पत्रक (OMR Sheet) पर अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक, विषय व सेन्टर का सही कोड, प्रश्न–पत्र की बुकलेट संख्या व सीरीज़ स्वच्छतापूर्वक लिखे अन्यथा (OMR Sheet) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

10. अभ्यर्थी को उक्त के अलावा परीक्षा कक्ष में किताब, कॉपी, कागज, मोबाईल, कैलकुलेटर, घड़ी आदि लाना पूर्णतया वर्जित है, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुचित साधन प्रयोग करने के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

11. अभ्यर्थी प्रश्न–पुस्तिका (Test Booklet) के अन्तिम पृष्ठ को रफ शीट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।

12. अभ्यर्थी परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट बाद ही लघुशंका/शौचालय जाने हेतु कक्ष निरीक्षक से आग्रह कर सकते हैं।

13. अभ्यर्थी परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर पत्रक (OMR Sheet)की दोनों प्रतियों को अलग किये बिना कक्ष निरीक्षक को सौप देंगे। अभ्यर्थी प्रति, कक्ष निरीक्षक द्वारा अलग करके उन्हें दे दी जायेगी। अभ्यर्थी प्रश्न–पुस्तिका और (OMR Sheet) की अभ्यर्थी प्रति, अपने साथ ले जा सकते हैं।

15. अभ्यर्थियों को केन्द्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।

16. दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक (Scribe) की सुविधा दी जायेगी। श्रुति लेखक (Scribe) को अभ्यर्थी अपने साथ लायेगा जिसकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट से अधिक न होने का प्रमाण–पत्र श्रुति लेखक (Scribe) द्वारा कक्ष निरीक्षक को देना होगा। श्रुति लेखक (Scribe) की सुविधा प्राप्त **सुविधा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित अभ्यर्थी सम्पूर्ण विवरण सहित अपना पंजीकरण आयोग कार्यालय में दिनांक .28.10.2021 तक अवश्य करा लें, ताकि उनकी बैठने की समुचित व्यवस्था केन्द्रों पर यथासमय की जा सके**। उक्त अभ्यर्थियों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। श्रुति लेखक को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

17. लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व स्वयं सुनिश्चित हो लें कि आप यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी करते हैं। आयोग स्तर से प्रश्न–पत्र प्रेषित करने के बाद भी निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित न हो, क्योंकि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से अथवा लिखित परीक्षा में सफल होने मात्र से सहायक आचार्य पद पर अन्तिम रूप से चयन हेतु आप पात्र नहीं माने जायेगें। किसी भी स्तर पर यह तथ्य आयोग के संज्ञान में आता है कि आप आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

18. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (Devices) आपस में बात–चीत पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।

19. वैश्विक महामारी कोविड–19 के वैक्सीनेशन का प्रमाण–पत्र लिखित परीक्षा के दिन केन्द्र पर कक्ष निरीक्षक को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।

20. यह प्रवेश–पत्र अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से लिखित परीक्षा में बैठने हेतु निर्गत किया जा रहा है। यदि आयोग के संज्ञान में आता है कि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा सहायक आचार्य पद हेतु न्यूनतम अर्हता धारित नहीं करते हैं तो आयोग को उनका अभ्यर्थन समाप्त करने का अधिकार होगा।

सचिव

SARKARIRESULT.COM